रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2007/अग्रहायण 9, 1929
No. 528] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2007/AGRAHAYANA 9, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 746(अ).—हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-11-2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 2007 की 968 में दिये गए आदेश के अनुसरण में, सं. सा.का.नि. 641(अ), दिनांक 1-अक्तूबर, 2007 के तहत अधिसूचित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियमावली, 2006 को 13-12-2007 तक लागू नहीं किया जायेगा ।

[फा. सं. पी-16011/7/2005-पी.एच.]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health And Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2007

G.S.R. 746(E).—In pursuance of Himachal High Court Order in CWP No. 968 of 2007 dated 28-11-2007, the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2006 notified *vide* No. G.S.R. 641 (E) dated 1st October 2007 will not be given effect till 13-12-2007.

[F. No. P-16011/7/2005-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

IndiaCode

4845 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.